उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–435–अ0प्र0–07/पाकालि/21–25–अ0प्र0–07/19 दिनांक 04/02/2021

कार्यालय ज्ञाप

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना (पूर्ववर्ती) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005–06 में जनपद बॉदा, झॉसी, हमीरपुर, ललितपुर, उरई, चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती, बहराईच, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, बरेली एवं लखीमपुर जनपद के गॉवों के विद्युतीकरण में की गयी वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में अनु सचिव (ऊर्जा अनुभाग–2), उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–जांच 17/24–पी–2019–सत0(15)/12, दिनांक 19.06.2019 के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में खुली जॉच सतर्कता अधिष्ठान से करायी गयी, जिसमें सम्बन्धित कार्मिकों के विरूद्ध अभियोजन पंजीकृत कराकर उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान से अन्वेषण जॉच कराये जाने का निर्णय लिया गया है। सम्बन्धित कार्मिकों में अन्य के साथ श्री योगेन्द्र सिंह, अवर अभियन्ता को भी अन्तर्ग्रस्त किया गया है।

अवर अभियन्ता (वै0 एवं यां0/जा0) से सहायक अभियन्ता (वै0 एवं यां0/जा0) पद पर 40% प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत प्रोन्नति सम्बन्धी कार्यवाही में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में कार्यरत श्री योगेन्द्र सिंह यादव (वरि0क्र0–9948) पुत्र श्री अजमेर सिंह यादव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं होने की प्राप्त सूचना के दृष्टिगत नियमानुसार श्री योगेन्द्र सिंह यादव (वरि0क्र0–9948), अवर अभियन्ता को सहायक अभियन्ता के पद पर कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0–3411–अ0प्र0–07/पाकालि/07–25–अ0प्र0–07/19, दिनांक 26.10.2019 द्वारा दक्षिणांचल डिस्कॉम में ऑन सीट प्रोन्नति प्रदान की गयी एवं अभिज्ञान सं0–2019064 आवंटित की गयी।

कालान्तर में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा के पत्रांक–735/प्र0नि0/आ0/अनु0का0/अ0अ0–2/ई–14(पी–21), दिनांक 13.01.2021 द्वारा सूचित किया गया कि श्री योगेन्द्र सिंह, अवर अभियन्ता एवं श्री योगेन्द्र सिंह यादव, अवर अभियन्ता दोनों एक ही व्यक्ति है।

सूचनीय है कि पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के परिषदादेश सं0–1849–का0वि00नि0, दिनांक 08.10.1997 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0–13/21/89–क–1/1977, दिनांक 28.05.1997, जो उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में भी प्रभावी है, के प्रस्तर–(11) में निम्नवत व्यवस्था प्राविधानित है कि :–

"यदि किसी कार्मिक को प्रोन्नति के लिए चयन समिति द्वारा संस्तुति की जा चुकी हो, परन्तु प्रोन्नति के आदेशों के क्रियान्वयन के पूर्व खण्ड(2) में उल्लिखित कोई ऐसी बात सामने आ जाय, जो यदि चयन के समय चयन समिति के समक्ष होती तो चयन समिति की संस्तुति को मोहरबन्द लिफाफे में रखा जाना आवश्यक होता, सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नत नहीं किया जायेगा और ऐसी कार्यवाही के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर उसके सम्बन्ध में चयन समिति की संस्तुति को इस कार्यालय ज्ञाप में दिये गये उपबन्धों के अधीन उसी प्रकार से क्रियान्वित किया जायेगा, मानो इसके विषय में चयन समिति की संस्तुति को मोहरबन्द लिफाफा में रखा गया हो।"

2 चूँकि श्री योगेन्द्र सिंह यादव (वरि0क्र0–9948) के विरूद्ध तत्समय अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं होने की सूचना के दृष्टिगत सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गयी, परन्तु दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा द्वारा सूचित किया गया कि श्री योगेन्द्र सिंह, जिनके विरूद्ध उपरोक्त वर्णित अभियोजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं श्री योगेन्द्र सिंह यादव (वरि0क्र0–9948) एक ही व्यक्ति हैं।

3 उपरोक्त के दृष्टिगत श्री योगेन्द्र सिंह यादव (वरि0क्र0–9948), तत्कालीन अवर अभियन्ता, के विरूद्ध तत्समय एवं वर्तमान में भी उपरोक्त वर्णित अभियोजन प्रचलित होने के दृष्टिगत श्री यादव को कार्यालय ज्ञाप सं0–3411–अ0प्र0–07, दिनांक 26.10.2019 द्वारा सहायक अभियन्ता के पद पर प्रदान की गयी प्रोन्नति एवं आवंटित अभिज्ञान सं0–2019064 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है एवं इनका प्रोन्नति का प्रकरण मोहरबन्द क्रियान्वित माना जाता है।

4 उपरोक्त प्रकरण के निस्तारण होने के उपरान्त परिषदादेश सं0–1849–का0वि00नि0, दिनांक 08.10.1997 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री योगेन्द्र सिंह यादव (वरि0क्र0–9948) की अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु उपरोक्तानुसार मोहरबन्द माने गये प्रकरण को निस्तारित किया जायेगा।

5 उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप सं0–3411–अ0प्र0–07, दिनांक 26.10.2019 में वर्णित अन्य नियम/शर्ते यथावत लागू रहेगी।

6 इस कार्यालय ज्ञाप के निर्गमन के पश्चात पूर्व में आवंटित अभिज्ञान संख्या निष्प्रभावी हो जाएगी, परन्तु श्री योगेन्द्र सिंह यादव के विरूद्ध पूर्व में अन्य कोई अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय कार्यवाही/राज्य सतर्कता जांच आदि प्रचलित हो अथवा पूर्व में अन्य कोई दण्ड प्रदान किया गया हो, तो वह इस अभिज्ञान संख्या के निरस्त होने के उपरान्त भी यथावत प्रभावी रहेगी।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या :– 435–अ0प्र0–07/पाकालि/2021/तद्दिनांक (04.02.2021)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. (स्पीड पोस्ट) प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
4. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को पत्रांक–965–अनु0–01/सहा0अभि0(पदो0)/2018–19, दिनांक 05.10.2018 द्वारा प्रेषित छान समिति की आख्या के सन्दर्भ में।
5. (स्पीड पोस्ट) मुख्य अभियन्ता (वितरण), बांदा क्षेत्र, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, बांदा।
6. संयुक्त सचिव (अनु0कार्य0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. उप सचिव (05ए), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को पत्र सं0–59–अ0का0 एवं सत0–05ए/पाकालि/2021, दिनांक 07.01.2021 के सन्दर्भ में।
9. उप सचिव (अ0प्र0–03/04/गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. अनुभाग अधिकारी (अ0प्र0–03/04), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. (स्पीड पोस्ट) अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, बाबू लाल चौराहा, काली देवी मन्दिर के सामने, बांदा–210001 को इस आशय से प्रेषित कि श्री योगेन्द्र सिंह यादव को सहायक अभियन्ता के पद से कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र (चार्ज सर्टीफिकेट) एवं तद्क्रम में अवर अभियन्ता के पद पर कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी प्रपत्र सहित सूचना, उप सचिव (03/04), उ0प्र0 कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन (ds0304uppcl@gmail.com/uppcljs02@gmail.com) एवं लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार (vetanlekha@gmail.com) को उच्च प्राथमिकता पर अवश्यमेव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
14. (स्पीड पोस्ट) सम्बन्धित अधिकारी श्री योगेन्द्र सिंह यादव (वरि0क्र0–9948) (ऑडिट सं0–WZ–148), सहायक अभियन्ता एवं उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, बाबू लाल चौराहा, काली देवी मन्दिर के सामने, बांदा–210001
15. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उप सचिव (07)